मुकदमों का विवरण

मैथ्यूज जे. नेदुमपारा और ओआरएस बनाम

भारत और ओआरएस का संघ।

(लिखित याचिका (सी) 2023 का सं. 320) अक्टूबर 16,2023

[संजय किशन कौल**,** सी**.** टी**.** रविकुमार और सुधांशु धूलिया**,** जे**.** जे**.]**

हेडनोट्स

विचार के लिए विषयःवरिष्ठ अधिवक्ताओं के रूप में अधिवक्ताओं का पदनाम।16 और 23 (5), अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के साथ-साथ यू/या। IV,आर. 2, उच्चतम न्यायालय नियम, 2013, यदि असंवैधानिक होने से अनुच्छेद 19 के तहत समानता के जनादेश और किसी भी पेशे का अभ्यास करने के अधिकार के साथ-साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन होता है, जैसा कि दावा किया गया है।

अधिवक्ता अधिनियम**, 1961-**एस**.16, 23(5) –** चुनौती**-**याचिकाकर्ताओं की याचिका कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम ने विशेष अधिकारों**,** विशेषाधिकारों और दर्जे के साथ अधिवक्ताओं का एक वर्ग बनाया है और इसे केवल न्यायाधीशों**,** वरिष्ठ अधिवक्ताओं**,** राजनेताओं**,** मंत्रियों आदि के रिश्तेदारों के लिए एक परिणाम के रूप में देखा गया है**,** जिसके परिणामस्वरूप कानूनी उद्योग पर नामित अधिवक्ताओं के एक छोटे समूह का एकाधिकार हैः

आयोजित किया गयाःदलीलें लापरवाह होती हैं, पूरी तरह से योग्यता और औचित्य से रहित होती हैं, जो सभी के खिलाफ आरोप लगाती हैं-अधिवक्ताओं को वरिष्ठ अधिवक्ताओं और अन्य अधिवक्ताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।16 यह विधायिका द्वारा बनाया गया एक वर्गीकरण है-इस तरह के वर्गीकरण करने के लिए एक व्यापक विवेकाधिकार है, और जबकि वर्गीकरण के लिए एक कारण होना चाहिए, कारण अच्छा होने की आवश्यकता नहीं है-न्यायालय केवल वर्गीकरण की समीक्षा कर सकता है यदि यह स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण और मनमाना है-अधिवक्ताओं का वर्गीकरण यू/एस।16 अधिवक्ताओं द्वारा दशकों से स्थापित एक ठोस अंतर है, और न्यायालय ने पेशे में अधिवक्ताओं की वरिष्ठता पर निर्णय लेने के लिए एक स्पष्ट और पारदर्शी तंत्र तैयार किया है-एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पदनाम न्यायालय द्वारा योग्यता की मान्यता है।

1181 1182

और इंदिरा जयसिंह के मामलों में पारित दो निर्णयों ने प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने का प्रयास किया है-यह चुनौती कि वर्गीकरण अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, असमर्थनीय है-एक विशिष्ट सी प्रावधान की संवैधानिक वैधता को अमूर्त रूप से चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन जब प्रावधान किसी भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं या संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करते हैं, या विधायिका में कानून बनाने की क्षमता का अभाव होता है-अधिवक्ताओं का वर्गीकरण और अधिवक्ताओं को वरिष्ठता प्रदान करने का तंत्र किसी भी मनमाने, कृत्रिम या टालमटोल के आधार पर आधारित नहीं है-ऐसा वर्गीकरण विधायिका का एक निर्माण है, और संवैधानिकता का एक सामान्य अनुमान है, और यह दिखाने का बोझ याचिकाकर्ताओं पर है कि एक स्पष्ट अधिकार है।32. [पैरा 5,13-15,17,18 और 21]

भारत का संविधान**-**अनुच्छेद **14-**वरिष्ठ अधिवक्ताओं के रूप में अधिवक्ताओं का पदनाम**-** अनुच्छेद **14** का उल्लंघन आरोपितः

आयोजित किया गयाःउल्लङ्घन नहीं किया गया-अनुच्छेद 14 विधायिका द्वारा लोगों के उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है-अधिवक्ताओं की वरिष्ठता पेशे के मानकों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से योग्यता के एक मानकीकृत मीट्रिक पर आधारित है-अधिवक्ता अधिनियम, 1961-एस. एस.16, 23(5) – उच्चतम न्यायालय नियम, 2013-या। IV,आर. 2.[पैरा 18]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

इंदिरा जयसिंह बनाम भारत का सर्वोच्च न्यायालय, महासचिव के माध्यम से

& ओआरएस। (2017) 9 एससीसी 766:[2017] 10 एस. सी. आर. 478; इंदिरा जयसिंह बनाम सुप्रीम

भारत का न्यायालय, महासचिव और अन्य के माध्यम से। (2023) 8 एस. सी. सी. 1; लोक सेवा न्यायाधिकरण बार एसोसिएशन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2003) 4 एस. सी. सी. 104: [2003] 1 एस. सी. आर. 666; भारत संघ बनाम नितदीप टेक्सटाइल प्रोसेसर (पी) लिमिटेड (2012) 1

एससीसी 226:[2011] 13 एससीआर 26; आर. के. गर्ग बनाम भारत संघ (1981) 4 एससीसी 675:[1982] 1 एस. सी. आर. 947-पर निर्भर।

मैथ्यूज नेदुमपारा, इन रे (2019) 19 एस. सी. सी. 454-संदर्भित।

मैथ्यूज जे. नेदुमपारा और ओआरएस बनाम

1183

भारत और ओआरएस का संघ

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः2023 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 320।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

रूपः

मैथ्यूज जे. नेदुमपारा, याचिकाकर्ता-व्यक्तिगत सुश्री मारिया नेदुमपारा, याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

न्यायाधीश संजय किशन कौल, जे।

1. अधिवक्ताओं का अभ्यास करने वाले याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस घोषणा के लिए वर्तमान रिट याचिका का नेतृत्व किया है कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (इसके बाद 'उक्त अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 16 और 23 (5) के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 के आदेश IV के नियम 2 के तहत वरिष्ठ अधिवक्ताओं के रूप में अधिवक्ताओं का पदनाम, विशेष अधिकारों, विशेषाधिकारों और दर्जे के साथ अधिवक्ताओं का एक विशेष वर्ग बनाना जो आम अधिवक्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है, असंवैधानिक है, जो अनुच्छेद 19 के तहत समानता के जनादेश और अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी पेशे का अभ्यास करने के अधिकार के साथ-साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन है।यह उनका कहना है कि इस तरह के पदनाम ने विशेष अधिकारों के साथ अधिवक्ताओं का एक वर्ग बनाया है, और इसे केवल न्यायाधीशों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं, राजनेताओं, मंत्रियों आदि के रिश्तेदारों के लिए एक परिणाम के रूप में देखा गया है, जिसके परिणामस्वरूप कानूनी उद्योग का एकाधिकार नामित अधिवक्ताओं के एक छोटे समूह द्वारा किया जा रहा है, जिससे अधिकांश योग्य कानून व्यवसायियों को सामान्य जनमत के रूप में भेदभावपूर्ण व्यवहार प्राप्त हो रहा है।

2. हम देख सकते हैं कि यह तर्क दिया गया है कि यह न्यायालय इंदिरा जयसिंह के मामले में

बनाम भारत का सर्वोच्च न्यायालय, महासचिव और अन्य के माध्यम से। **1,** बरकरार रखा गया

अधिवक्ताओं के पदनाम के लिए प्रावधान करने वाले उक्त अधिनियम के अधिकार

1 (2017) 9 एससीसी 766 1184

वरिष्ठ अधिवक्ता और अवैध रूप से इस तरह के पदनाम के लिए दिशानिर्देश प्रदान करते हैं, जो न्यायिक कानून के बराबर है।हम यहाँ यह जोड़ सकते हैं कि बाद में पदनाम के लिए और संशोधन किए गए हैं।

इंदिरा जयसिंह बनाम भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दिया गया निर्णय,

महासचिव और अन्य के माध्यम से। **2** उपरोक्त निर्णय में आरक्षित स्वतंत्रता के अनुसरण में।

3. याचिकाकर्ता का कहना नं।1 यह है कि हम रोमन कानून या इंग्लैंड से अवधारणा को उधार नहीं ले सकते हैं, जो चरित्र में सामंती था, क्योंकि इंग्लैंड में, ताज का प्रतिनिधित्व करने वाली रानी के वकील की अवधारणा 18 वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई थी।जिस समय संविधान अस्तित्व में आया, उस समय कानूनी व्यवसायियों की अलग-अलग श्रेणियां थीं, जिनके पास वकालत करने के अधिकार की अलग-अलग डिग्री थी-मुख्तियार, वकील और प्लीडर, जो मफ अदालतों में वकालत करते थे, जबकि उच्च न्यायालयों में, बार एट लॉ, अधिवक्ता और सॉलिसिटर प्रैक्टिस करते थे।उक्त अधिनियम कानूनी प्रणाली के काम करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अस्तित्व में लाया गया था।याचिकाकर्ता नं.1, उक्त अधिनियम के पीछे के उद्देश्य की सराहना करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 16 और 23 (5) के प्रावधानों को चुनौती देना चाहता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे 'अनजाने में' शामिल किया गया था और कहा जाता है कि यह उक्त अधिनियम के प्रशंसनीय उद्देश्य, यानी पूरे भारत गणराज्य के लिए एक एकल एकीकृत बार को नष्ट कर रहा है।

4. उच्चतम न्यायालय में अभिलेख पर अधिवक्ताओं के लिए भी एक संदर्भ दिया गया है, जो सर्वोच्च न्यायालय में अधिकार करने के हकदार हैं, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता बहस करने वाले वकील हैं।

5. हम ध्यान दे सकते हैं कि याचिकाकर्ता की दलीलें नं।1 चरित्र में लगभग लापरवाह हैं।पहली पीढ़ी के वकीलों की बड़ी संख्या, जिन्होंने प्रमुखता प्राप्त की और जिन्हें वरिष्ठ अधिवक्ताओं के रूप में नामित किया गया, उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश की जाती है-कुछ ऐसा जो समय के साथ बढ़ा है।हम कहते हैं कि दलीलें लापरवाह हैं क्योंकि इसे ऐसा बनाने की कोशिश की गई है जैसे कि भारत में कानूनी पेशा लंबे समय से सामंती रहा है और कुछ उच्च जातियों और कुछ परिवारों का एकाधिकार है।वास्तव में, उदारीकरण के बाद की अवधि में, यह आरोप लगाया जाता है कि वकील अब अपने ज्ञान, मूल्यों और विद्वता के लिए नहीं बल्कि धन की अभिव्यक्ति और पीठ के निकटता के लिए जाने जाते हैं।ये कथन चरित्र में तिरस्कारपूर्ण हैं,

2 (2023) 8 एस. सी. सी. 1 1185

मैथ्यूज जे. नेदुमपारा और ओआरएस बनाम

भारत और ओआरएस का संघ। [संजय किशन कौल, जे.] 1186

और वह भी याचिकाकर्ता सं।1, जिन्हें पहले से ही मैथ्यूज नेदुमपारा में वकालत करने के लिए इस अदालत से अवमानना और प्रतिबंध के लिए दोषसिद्धि का सामना करना पड़ा, 3 रुपये में।
6.याचिकाकर्ता नं.1 यह यहीं नहीं रुकता है, बल्कि यह आरोप लगाता है कि बार ने अपनी सारी स्वतंत्रता और जीवन शक्ति खो दी है।आरोप न केवल बार के सामान्य सदस्यों और नामित अधिवक्ताओं के खिलाफ हैं, बल्कि संवैधानिक कद का आनंद लेने वाले सरकारी विधि अधिकारियों के खिलाफ भी हैं।उन्होंने अनुरोध किया है कि पदनाम उच्च स्थिति और उपाधि का प्रतीक है और

होनहार वकीलों को पदनाम के लिए आवेदन करने की बदनामी नहीं करनी चाहिए।वे यहाँ तक कहते हैं कि वकीलों ने योग्यता, चरित्र, ज्ञान और ईमानदारी की प्रणाली में विश्वास खो दिया है, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि केवल वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में न्यायालय द्वारा प्रदान की गई उपाधि ही पेशे में समृद्धि और सफलता ला सकती है।इतना ही नहीं, अधीनस्थ न्यायालयों में काम करने वाली पूरी कानूनी बिरादरी को पदनाम के लिए विचार के क्षेत्र से बाहर रखा गया है, और इस तरह के वर्गीकरण से कोई सार्थक उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

7. कहा जाता है कि दोहरी प्रणाली न्याय के पूर्ण विनाश का कारण बन रही है।

वितरण प्रणाली '।

8. कानून की संवैधानिक वैधता की कसौटी को वास्तविक प्रभाव और वास्तविकता कहा जाता है। याचिकाकर्ता नं.1 सफल वकीलों या उस मामले के लिए न्यायाधीशों को दोषी ठहराना बंद नहीं करता है, लेकिन सभी को एक ही रंग से चित्रित करता है, यह आरोप लगाते हुए कि शक्तिशाली राजनेताओं और उच्च पदस्थ नौकरशाहों के पास भी अपने रिश्तेदारों को न्यायाधीशों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं के रूप में नियुक्त करने का अधिकार है।9. वास्तव में, दलीलों के दौरान, याचिकाकर्ता नं।1 याचिका में यह प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया कि एक गैर सरकारी संगठन द्वारा न्यायिक पारदर्शिता और सुधारों के लिए दायर याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को हाईजैक करने की मांग की गई है।यह श्रीमती इंदिरा जय सिंह की याचिका के संदर्भ में है और यहाँ तक कि उनके उद्देश्यों को भी जिम्मेदार ठहराया गया है क्योंकि यह कहा गया था कि उन्होंने जो माँगा था वह कानून था।

10. कोई कह सकता है कि याचिकाकर्ता नहीं।1 इन मुद्दों के बारे में चिल्लाते और चिल्लाते रहते हैं, उन प्रावधानों के उद्देश्य को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हैं जिन पर वह हमला करना चाहते हैं और कानूनों को चुनौती देने की संकीर्ण दिशा को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हैं।संदर्भ की सुविधा के लिए, प्रासंगिक प्रावधानों को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

3 (2019) 19 एससीसी 454

“16. वरिष्ठ और अन्य अधिवक्ता।—

(1) अधिवक्ताओं के दो वर्ग होंगे, अर्थात् वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ता।

(2) एक अधिवक्ता को उसकी सहमति से वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया जा सकता है यदि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की राय है कि वह अपनी क्षमता [बार में खड़े होने या कानून में विशेष ज्ञान या अनुभव] के आधार पर इस तरह के सम्मान का हकदार है।

(3) वरिष्ठ अधिवक्ता, अपने व्यवहार के मामले में, ऐसे प्रतिबंधों के अधीन होंगे जो भारतीय बार काउंसिल, कानूनी पेशे के हित में निर्धारित करे।

(4) उच्चतम न्यायालय का एक अधिवक्ता जो नियत दिन से ठीक पहले उस न्यायालय का एक वरिष्ठ अधिवक्ता था, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, एक वरिष्ठ अधिवक्ता माना जाएगाः[बशर्ते कि जहां ऐसा कोई वरिष्ठ अधिवक्ता 31 दिसंबर, 1965 से पहले बार काउंसिल को उस रोल को बनाए रखने के लिए आवेदन करता है जिसमें उसका नाम दर्ज किया गया है कि वह एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में बने रहने की इच्छा नहीं रखता है, तो बार काउंसिल आवेदन दे सकती है और रोल को तदनुसार बदला जाएगा।]

…….23. पूर्व-श्रोता का अधिकार।—

(5) उपरोक्त विषय-(i) वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पास अन्य अधिवक्ताओं पर पूर्व-श्रोता होगा, और (ii) वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ-साथ अन्य अधिवक्ताओं के पूर्व-श्रोता का अधिकार उनकी संबंधित वरिष्ठता द्वारा निर्धारित किया जाएगा।"

11. उक्त अधिनियम के उल्लिखित प्रावधानों को निरस्त करने और इंदिरा जयसिंह 4 मामले में फैसले को असंवैधानिक घोषित करने के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय के प्रासंगिक नियमों को भी असंवैधानिक घोषित करने की मांग करने वाली कई प्रार्थनाएं हैं क्योंकि वे वस्त्रों सहित एक अन्यायपूर्ण वर्गीकरण प्रदान करना चाहते हैं।

12. इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 ने कानून के साथ एक से अधिक बार समझौता किया है, हालांकि वह दावा करता है कि वह इस मामले में एक वकील बन गया है।

4 ऊपर 1187

मैथ्यूज जे. नेदुमपारा और ओआरएस बनाम

भारत और ओआरएस का संघ। [संजय किशन कौल, जे.] 1188

अपने ही मामले में।याचिकाकर्ता संख्या 1 ने स्पष्ट रूप से सीमाओं को पार किया जहां न्यायालय को अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया गया था और याचिकाकर्ता संख्या 1 को इस न्यायालय में वकालत करने से रोक दिया गया था।

13. हम सभी के खिलाफ आरोप लगाते हुए दलीलों को पूरी तरह से योग्यता और औचित्य से रहित मानते हैं।यह कानूनी पेशे में बड़े विकास के परिप्रेक्ष्य में अधिक है जहां बड़ी संख्या में पहली पीढ़ी के वकीलों ने अपनी पहचान बनाई है।ये वकील, जिनमें से कुछ युवा हैं, राष्ट्रीय विधि विद्यालयों और अन्य प्रमुख विधि विद्यालयों से आए हैं।उनके योगदान की सराहना करने के बजाय, याचिकाकर्ता नंबर 1 ने सभी के खिलाफ आरोप लगाने की अपनी सामान्य शैली का उपयोग किया है।

14. सीमित कानूनी जांच क्या है, बाकी याचिकाकर्ताओं की राय और तर्क, उक्त अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों की संवैधानिक वैधता है। यह कहने के लिए पर्याप्त नहीं है कि एक विशिष्ट ग

प्रावधान की संवैधानिक वैधता को अमूर्त रूप से चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन जब प्रावधान भाग III के तहत गारंटीकृत किसी भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं या संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करते हैं, या विधायिका में कानून बनाने की क्षमता का अभाव होता है।यदि कोई प्रावधान किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो इस तरह का उल्लंघन सीधे और अनिवार्य रूप से लोगों को प्रभावित करना चाहिए और प्रावधान के उल्लंघन के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित नहीं किया जा सकता है।हम उपयोगी रूप से उल्लेख कर सकते हैं

लोक सेवा न्यायाधिकरण बार एसोसिएशन बनाम राज्य

यू. पी. 5 निम्नानुसारः“26. किसी अधिनियम की संवैधानिक वैधता को केवल दो आधारों पर चुनौती दी जा सकती है अर्थात (i) विधायी क्षमता की कमी। और (ii) संविधान के भाग III या किसी अन्य संवैधानिक प्रावधानों में गारंटीकृत किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन।ए. पी. बनाम राज्य मेंमैकडॉवेल एंड कंपनी [(1996) 3 एस. सी. सी. 709] इस न्यायालय ने राय दी है कि उपरोक्त दो आधारों को छोड़कर कोई तीसरा आधार नहीं है जिसके आधार पर सक्षम विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को अमान्य किया जा सकता है और अमान्य होने का आधार अनिवार्य रूप से उपरोक्त दो आधारों के चार कोनों के भीतर आना चाहिए।”

15. उक्त अधिनियम की धारा 16 के तहत वरिष्ठ अधिवक्ताओं और अन्य अधिवक्ताओं के रूप में अधिवक्ताओं का वर्गीकरण एक वर्गीकरण है जो

5 (2003) 4 एससीसी 104

विधायिका।विधायिका के पास इस तरह के वर्गीकरण करने के लिए एक व्यापक विवेकाधिकार है, और जबकि वर्गीकरण के लिए एक कारण होना चाहिए, कारण अच्छा होना आवश्यक नहीं है। न्यायालय वर्गीकरण की समीक्षा केवल तभी कर सकता है जब यह स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण और मनमाना हो।

16. भारत संघ बनाम नितदीप टेक्सटाइल प्रोसेसर्स **(**पी**)** लिमिटेड मामले में **6** का अवलोकन किया गया।

निम्नानुसारः“47. अब इस न्यायालय के कई निर्णयों से यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि एक विशेष वर्गीकरण उचित है यदि यह कारण पर आधारित है और विशुद्ध रूप से मनमाना, मनमाना या प्रतिशोधी नहीं है।दूसरी ओर, जबकि वर्गीकरण के लिए एक कारण होना चाहिए, कारण अच्छा नहीं होना चाहिए, और यह मायने नहीं रखता कि क़ानून अन्यायपूर्ण है।परीक्षा ज्ञान नहीं है, बल्कि वर्गीकरण में सद्भावना है।अन्यथा मुकाबला करने के लिए दिन में बहुत देर हो चुकी है।इस न्यायालय द्वारा बार-बार यह देखा गया है कि वर्गीकरण के मामले में विधायिका का व्यापक विवेकाधिकार है। कराधान में, "कानून के कुछ अन्य अभ्यासों की तुलना में वर्गीकरण की एक व्यापक शक्ति है"।जब

वर्गीकरण करते समय कानून के विवेक पर सवाल उठाया जाता है, तो अदालतों की भूमिका बहुत सीमित होती है।यह अदालतों द्वारा समीक्षा योग्य नहीं है जब तक कि स्पष्ट रूप से मनमाना न हो। यह अदालतों की चिंता नहीं है कि वर्गीकरण सबसे बुद्धिमान है या सबसे अच्छा जो किया जा सकता है।"

17. उक्त अधिनियम की धारा 16 के तहत अधिवक्ताओं का वर्गीकरण एक ठोस अंतर है जो दशकों से अधिवक्ताओं द्वारा स्थापित किया गया है, और न्यायालय ने पेशे में अधिवक्ताओं की वरिष्ठता पर निर्णय लेने के लिए एक स्पष्ट और पारदर्शी तंत्र तैयार किया है।उच्चतम न्यायालय में किसी भी मामले को निपटाने में सक्षम होने के लिए, रिकॉर्ड पर अधिवक्ताओं के लिए एक व्यापक और सख्त जांच का प्रावधान किया गया है।कोई भी अधिवक्ता किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।इसका उद्देश्य प्रणाली की प्रभावशीलता और पीठ को उचित सहायता के साथ-साथ मुवक्किल के मामले को प्रचारित करने के लिए बेहतर स्थिति में होना भी है।विशेषज्ञता और योग्यता मानदंड हैं।बहुत से अधिवक्ता उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों में रिकॉर्ड पर अधिवक्ता या अधिवक्ता के रूप में बने रहना पसंद करते हैं क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पदनाम में वे जो भूमिका निभा सकते हैं, उसमें कई बाधाएं हैं, यानी, उन्हें एक निर्देशात्मक वकील के साथ उपस्थित होना पड़ता है, न कि मसौदा और व्यक्तिगत दलीलों के साथ, और वकीलों से निपटने के लिए नहीं।

6 (2012) 1 एस. सी. सी. 226 1189

मैथ्यूज जे. नेदुमपारा और ओआरएस बनाम

भारत और ओआरएस का संघ। [संजय किशन कौल, जे.] 1190

वादी आदि। इस प्रकार, न्यायालय को संबोधित करने का एक विशेष अधिकार कई कार्यों पर प्रतिबंधों के साथ जोड़ा गया है जो वे अन्यथा अधिवक्ताओं के रूप में कर सकते हैं।वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पदनाम न्यायालय द्वारा योग्यता की मान्यता है, और इंदिरा जयसिंह 7 मामलों में पारित दो निर्णयों ने प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने का प्रयास किया है।

18. यह चुनौती कि उपरोक्त वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, असमर्थनीय है क्योंकि अनुच्छेद 14 विधायिका द्वारा लोगों के उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है।अधिवक्ताओं की वरिष्ठता पेशे के मानकों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से योग्यता के एक मानकीकृत मीट्रिक पर आधारित है।इस प्रकार, अधिवक्ताओं का वर्गीकरण और अधिवक्ताओं को वरिष्ठता प्रदान करने का तंत्र किसी भी मनमाने, कृत्रिम या टालमटोल के आधार पर आधारित नहीं है।इस तरह का वर्गीकरण विधायिका का एक सृजन है, और संवैधानिकता का एक सामान्य अनुमान है, और याचिकाकर्ताओं पर यह दिखाने का बोझ है कि संवैधानिक सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन है-कुछ ऐसा जो वे निर्वहन करने में बुरी तरह विफल रहे हैं।यह नियम इस धारणा पर आधारित है, जिसे न्यायिक रूप से मान्यता दी गई है और स्वीकार किया गया है, कि विधायिका लोगों की जरूरतों को समझती है और सही ढंग से उनकी सराहना करती है।

19. आर**.** के**.** गर्ग बनाम भारत संघ **8** में**,** यह निम्नानुसार मनाया गया हैः

“7. अब अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाले एक क़ानून की संवैधानिक वैधता पर विचार करते समय, कुछ अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखना आवश्यक है जिन्हें अदालतों द्वारा न्यायिक समीक्षा के अपने संवैधानिक कार्य के निर्वहन में मार्गदर्शन के नियमों के रूप में विकसित किया गया है।पहला नियम यह है कि किसी कानून की संवैधानिकता के पक्ष में हमेशा एक धारणा होती है और बोझ उस पर होता है जो यह दिखाने के लिए उस पर हमला करता है कि संवैधानिक सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है।यह नियम इस धारणा पर आधारित है, जिसे न्यायिक रूप से मान्यता दी गई है और स्वीकार किया गया है, कि विधायिका अपने लोगों की जरूरतों को समझती है और सही ढंग से सराहना करती है, इसके कानून अनुभव द्वारा प्रकट की गई समस्याओं के लिए निर्देशित होते हैं और इसका भेदभाव पर्याप्त आधारों पर आधारित होता है।संवैधानिकता की धारणा वास्तव में इतनी मजबूत है कि इसे बनाए रखने के लिए, न्यायालय सामान्य ज्ञान के मामलों, सामान्य रिपोर्ट के मामलों, संविधान के इतिहास पर विचार कर सकता है।

7 ऊपर

8 (1981) 4 एस. सी. सी. 675

समय और तथ्यों की हर स्थिति को मान सकते हैं जिनकी कल्पना कानून के समय मौजूद की जा सकती है।”

20. यदि कोई यह कह सकता है कि बार के कनिष्ठ सदस्यों के प्रति अनुग्रह, एक अर्थ में, वरिष्ठ सदस्यों की तुलना में अधिक है क्योंकि बार के विकास में सहायता करना भी पीठ के कर्तव्य का हिस्सा है। सदियों से अंतर्निहित सिद्धांत यह रहा है कि श्रेय कनिष्ठ वकील को जाना चाहिए, बिना उन्हें बदनाम किए, और सदियों से, कई वकीलों ने इस प्रक्रिया में सीखा है, जिसमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो अब बेंच का गठन करते हैं।21. इस प्रकार, हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में जरा भी संकोच नहीं है कि यह रिट याचिका मुख्य रूप से याचिकाकर्ता नंबर 1 का एक दुस्साहस है जो उसके पिछले कुछ दुस्साहसों की निरंतरता में है।ऐसा प्रतीत होता है कि पहले पारित किए गए निर्णयों और आदेशों में याचिकाकर्ता संख्या 1 पर किसी भी आत्म-आत्मनिरीक्षण के लिए कोई हितकारी या परामर्श प्रभावी नहीं था, लेकिन वह सभी के खिलाफ एक निंदात्मक अभियान चलाना चाहता है।जाहिर है, प्रणाली याचिकाकर्ता नंबर 1 को उसके दृष्टिकोण में सही करने में सक्षम नहीं है।

22. हम लागत के बारे में बिना किसी आदेश के याचिका को खारिज कर देते हैं।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

याचिका खारिज कर दी गई।

दिव्या पांडे